माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

R 1502-I-17

पुनरीक्षण क्र०

महिला सावित्री पत्नि भागीरथ यादव निवासी ग्रा० मझगुवां तह० मोहनगढ जिला टीकमगढ म०प्र०
..पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

म०प्र०शासन ..प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

श्रीमति सुषमा सिंह (अधिवक्ता) द्वारा आज दि 26/5/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 26/5/17

पुनरीक्षण प्रस्तुत न्यायालय उप खंण्ड अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ के रा०प्र०क्र067/अपील/2016-17 मे पारितआदेश दिनांक 27/4/2017 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959

महोदय

पुनरीक्षणकर्ताकी विनय सादर प्रस्तुत है:

1. यहकि पुनरीक्षणकर्ता ने तहसीलमोहनगढ अंतर्गत मौजा मझगुवां मे कृषि भूमि ख०न०1066/2 जुज रकवा 0.445हे० भू०रा० 1.37रूपये की भूमि मकुन्दी तनय श्री हजारी यादव मु० नन्नी बाईपुत्री हजारी यादव से क्रय की थी जो दिनांक 21/02/1990 को विक्रयपत्र पंजीयन हुआ था और विधिवत विधिवत तरीके से प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण दिनांक 24/11/1990 को रा०नि०के द्वारा किया गया तत्समय नामांतरण के अधिकार रा०नि० को थे

2. यह कि आवेदिका पुनरीक्षणकर्ता का नाम नामांतरण पंजी के आधार पर खसरा पंचशाला एवं अन्य राजस्व रिकार्ड मे आ गया था जो वर्ष 2012-13 के कम्प्यूटर रिकार्ड तक सावित्री पत्नि भागीरथ का नाम अंकित है परंतु उक्त समय के पश्चात कम्प्यूटर से नाम आवेदिका का हटा दिया गया जो कि प्रतिपुनरीक्षणकर्ता /अनावेदक की गलती थी ।

3. यह कि प्रतिपुनरीक्षणकर्ताकी गलती की हानि उठाते हुए आवेदिका ने मा० न्यायालय नायब तहसीलदार वृत गोर तहसील मोहनगढ के यहांरिकार्ड दुरूस्ती का आवेदन प्रस्तुत किया और उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का से परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार गोर ने निरीक्षण करवाया निरीक्षण के दौरान पंचनामा तैयार किया गया जिसमे उपस्थित पंचो ने आवेदिका का कब्जा जोत बो कर कई बर्षो का बताया तथा पटवारी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

4. यह कि मा० परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार गोर के द्वारा

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी-1503-एक/2017 सावित्री विरूद्ध म.प्र.शासन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 20-09-2018 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. आवेदक अभिभाषक श्री एम.पी. भटनागर एवं अनावेदक शासन की ओर से अभिभाषक श्री अजय चतुर्वेदी को दिनांक 28-08-2018 को सुना गया ।<br>3. मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 71/अ-6अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30-09-2016 की नस्ती व अनुविभागीय अधिकारी का अपील में पारित आदेश दिनांक 27-04-2017 का अध्ययन किया गया ।<br>4. आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 4 माह 19 दिवस के दिन-प्रतिदिन विलम्ब का कोई स्पष्ट कारण नहीं दर्शाया गया, और न ही बंजर भूमि के बंटन का कोई आदेश नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिस कारण निगरानीकर्ता का नाम कम्प्यूटर खसरा में अंकित नहीं किया जाने का आदेश उचित होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।<br>5. उभयपक्ष अभिभाषकों को नोट कराया जाये ।<br>(आर.के.जैन) 20.9.18<br>**सदस्य** | |